प्रकरण संख्या 11/2019 हलिया व अन्य बनाम हालु व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.06.2024	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 10 ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 53, 88, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बीलडी, तहसील सज्जनगढ़ में आराजी नंबर 90, 197, 198, 203, 207, 209, 242, 243, 244, 245 कुल किता 10 रकबा 22 बीघा 10 बिस्वा भूमि स्थित है। इसी प्रकार ग्राम बालासिंदूर में आराजी नंबर 69, 95, 112, 325/112 कुल किता 4 रकबा 32 बीघा 17 बिस्वा भूमि स्थित है। उक्त दोनों गावों की आराजियात वादीगण व प्रतिवादीगण की पैत्रृक होकर स्वर्गीय भगला पुत्र जोरजी के खाते की है, जिनका सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 3 अनुसार होकर भगला जी के 8 पुत्र पुना, कालिया, लालु, हालु, वालु, थावरा, दीता व चतरा हुए। इस प्रकार उक्त आराजियात में भगला के प्रत्येक वारिसान का 1/8, 1/8 हिस्सा होकर पक्षकारान इसी अनुसार मौखिक बाहमी बंटवारा कर काबिज हैं, लेकिन गांव बीलडी के खाते भूमि में मूल खातेदार भगला के मरने पर नामान्तरकरण संख्या 22 में व गांव बालासिन्दुर में भगला के मरने के बाद नामान्तरकरण 3 दर्ज करते समय भगला के सभी आठों पुत्रों का नाम ग्राम बालासिन्दुर की भूमि में दर्ज नहीं कर केवल पूना, चतरा, लालू व वालु का नाम दर्ज किया एवं बीलडी की भूमि में पुना, दीता, चतरा, लालु, हालु, थावरा का नाम दर्ज किया। जबकि दोनों गावों की भूमि में भगना के सभी आठों पुत्रों का समान हक व अधिकार होकर मौखिक बंटवारा अनुसार काबिज हैं। अतः उक्त नामान्तरकरण गैर कानूनी होकर प्रारम्भ से ही शून्य हैं। ग्राम बीलडी की आराजी आराजी नंबर 246 का बेचान होने एवं विगत एक माह से आपस में झगड़ा फसाद होने से यह वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। अतः वाद पत्र की कलम संख्या 1 व 2 वर्णित आराजियात वाद पत्र की कलम संख्या 3 में दर्ज वंशावली अनुसार विवादित आराजियात का मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। प्रतिवादीगण द्वारा वाद पत्र के बिन्दुवार विस्तृत जवाब प्रस्तुत कर वाद वर्णित तथ्यों को अस्वीकार किया व प्लीडिंग्स के आधार पर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:42:28 IST
Reason: SelfAttested

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कुल 6 तनकियां कायम की गयी तथा तनकीवार विवेचन करते हुए अपने निर्णय दिनांक 13.07.2019 से वादी का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण/प्रतिवादी संख्या 1 से 8 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 04.10.2019 को प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 10 की ओर से अधिवक्ता श्री समर पण्डया उपस्थित हुए, जबकि अपीलान्टगण के ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र सिंह राठौड़ उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी दिनांक 19.08.2019 को होने पर नकलें प्राप्त कर अविलम्ब अपील प्रस्तुत कर दी गयी है। जानबूझकर विलम्ब नहीं किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि रेस्पोन्डेन्ट/वादीगण के वाद का प्रतिवादी/अपीलान्टगण द्वारा विस्तृत जवाब प्रस्तुत किया गया एवं बताया कि विवादित आराजियात प्रतिवादीगण के पिता की स्वअर्जित सम्पत्ति है एवं उनके पिता की मृत्यु के बाद विरासत से उनके नाम दर्ज हुई है, जिस पर अपीलान्टगण काबिज चले आ रहे हैं। नामान्तरकरण संख्या 3 व 22 विधिवत् खोले गये हैं। वादी वालू ने ग्राम बालासिन्दूर में अपने हिस्से की 3 बीघा भूमि कान्तिलाल मास्टर को विक्रय कर दी है तथा इसके अतिरिक्त वादी संख्या 4 का ग्राम बिलडी में पैत्रृक खाता होकर पारिवारिक बंटवारे में वह भूमि उन्हें मिली है तथा नाथू पिता दीता ने ग्राम बिल[illegible] बीघा भूमि जगमाल को विक्रय कर दी है, लेकिन अधिनस्थ न्या[illegible] ने अपीलान्टगण द्वारा रखे गये तथ्यों का समु[illegible]या है एवं उन्हें बिना सुने

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:42:28 IST
Reason: Self Attested

निर्णय पारित कर दिया, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री निरस्त की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने उक्त बहस का जवाब देते हुए बताया अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीवार विवेचन करते हु साक्ष्यों के आधार पर निर्णय पारित किया है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। जमाबन्दी संवत् 2012 से 2015 में विवादित आराजियात भगला पिता जोरजी के खातेदारी में दर्ज है। ऐसी स्थिति में अपीलान्टगण का यह कथन कि उक्त आराजियात उनके पिता की स्वअर्जित भूमि है, उचित प्रकट नहीं होता है। इसके अलावा हम यह भी पाते हैं की नामान्तरकरण संख्या 22 में भगला के 6 पुत्र होना अंकित है, जबकि नामान्तरकरण संख्या 3 में भगला के 4 पुत्र होना अंकित किया है। इस प्रकार दोनों नामान्तरकरण परस्पर विरोधाभाषी होने से विश्वसनीय प्रकट नहीं होते हैं। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने तनकीवार विवेचन में उक्त सभी तथ्यों का उल्लेख करते हुए वादीगण को भगला का वारिस मानते हुए उनका वाद स्वीकार कर विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की है, जो प्रथम दृष्टया विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 25/2017 निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री 23.07.2019 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 27.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन सहायक अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:42:28 IST
Reason: SelfAttested